छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर –492001

फोन न. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट–www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 1869/14/चयन/2020 दिनांक 26 AUG 2020

दस्तावेज सत्यापन हेतु "सूचना पत्र"

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 04/2020/परीक्षा/दिनांक 12.02.2020 एवं सूचना पत्र दिनांक 04.06.2020 के अंतर्गत **पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)** के रिक्त कुल 162 पदों हेतु दस्तावेज सत्यापन का आयोजन दिनांक 31.08.2020 से दिनांक 05.09.2020 तक आयोजित की जाएगी।

विज्ञापन के अनुसार **पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)** के पद हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 18/03/2020 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 16/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना था तथा दिनांक 19/04/2020 अपरान्ह 12:00 बजे से 25/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में एक बार हेतु त्रुटि सुधार करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

छ.ग. लोक सेवा आयोग के सूचना पत्र क्रमांक 722/67/विज्ञापन/2019 रायपुर दिनांक 04.06.2020 अनुसार **पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ** हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10/06/2020 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 19/06/2020 रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना था तथा दिनांक 22/06/2020 अपरान्ह 12:00 बजे से 23/06/2020 रात्रि 11:59 बजे तक अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में एक बार हेतु त्रुटि सुधार करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

निर्धारित तिथि तक आयोग को कुल 362 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए।

अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण–पत्र" ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता/अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होगा उन्हें दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26.8.2020

परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग

रायपुर